संक्षिप्त

भाजपा की जन आक्रोश महासभा आज

कोटपूतली, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी कोटपूतली विधानसभा की जन आक्रोश महासभा सोमवार दोपहर 12 बजे कृष्णा टाकीज के सामने आयोजित होगी। इस जन आक्रोश महासभा की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जन आक्रोश महासभा विधानसभा संयोजक सुभाष चन्द शर्मा दवाईवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा में सघन जन सम्पर्क कर जन आक्रोश सभा को सफल बनाने में जुटे हुए है। भाजपा की इस महासभा में राज्यसभा सांसद किरोडी लाल मीना, अलवर सांसद महंत बालक नाथ तथा जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर सभा को सम्बोधित करेगें। इससे पूर्व रविवार को जन आक्रोश महासभा को लेकर हुई बैठक में तैयारियों को अन्तिम रूप दिया गया।

आचार्य वर्धमान सागर का मंगल प्रवेश

मालपुरा, (निसं)। आचार्य वर्धमान सागर महाराज ससंघ ने रविवार को लावा से विहार किया। आचार्य के साथ बडी संख्या मे जैन धर्मावलम्बी भी रवाना हुए। शाम तकरीबन 4 बजे आचार्य श्री का डिग्गी मे मंगल प्रवेश हुआ। जैन समाज बंधुओ ने श्रीफल भेंट कर आचार्य की अगवानी की। अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी मे धर्मसभा का आयोजन हुआ। समाज के मिडिया प्रभारी आशीष जैन बघेरा ने बताया कि आचार्य वर्धमान सागर महाराज का किशनगढ मे पंचकल्याण महोत्सव होगा। डिग्गी से आचार्य श्री किशनगढ के लिए विहार करेगें।

रास्ते में कीचड़ होने से लोग परेशान

निवाई, (निसं)। गांव सिरस से पीपल्या जाने वाले रास्ते में कीचड फैला होने से ग्रामीणों को आवागम में परेशानी का सामना करना पड रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पीपल्या जाने वाले रास्ते पर कीचडयुक्त पानी भरा हुआ है। कीचडयुक्त रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक चौटिल हो रहे है। खेतों पर जाने वाले रास्ते से गुजरने वाले किसानों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने उक्त रास्ते को ठीक करने के लिए पंचायत प्रशासन मांग की है।

किसानों का कर्जा तो माफ नहीं हुआ परंतु किसानों की जमीनें जरूर कुर्क हुईं हैं : सतीश पूनिया

भाजपा चौमूं द्वारा गोविन्दगढ़ में आयोजित जन आक्रोश रैली को डॉ. सतीश पूनिया ने संबोधित किया।

- गोविन्दगढ़ में आयोजित जन आक्रोश सभा में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, मकराना विधायक रुपाराम मुरवतिया, विधायक रामलाल शर्मा, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, गोविन्दगढ़ पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी चौमूं द्वारा रविवार को पुराना बस स्टैंड गोविन्दगढ़ में जन आक्रोश सभा का आयोजन रखा गया। सभा के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में चारों ओर अराजकता, कुशासन, जंगलराज व भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है।

उन्होंने 2018 चुनाव में राहुल गांधी द्वारा 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा को लेकर कहा कि पिछले 4 सालों में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और 18 हजार किसानों की जमीन कुर्क हो गई और 200 सौ से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासन के दौरान महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहीं औसतन प्रतिदिन 7 लोगों की हत्या हो रही हैं। प्रदेश में किसान, महिला, नौजवान यहां तक कि साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने विधायक रामलाल शर्मा का धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा के विधायकों में कोई सरपंच की तरह काम करता है, तो वो रामलाल है। 20 वर्षों से जिस तरीके से रामलाल ने जनता की सेवा की है, वो अन्य विधायकों के लिए अनुकरणीय है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं।

सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अपने संबोधन में कहा कि केन्द्र सरकार ने जल जीवन के लिए राज्य सरकार को पैसे दिए, उन पैसों को राजस्थान के अधिकारियों ने खुर्दबुर्द करने का काम किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मकराना विधायक रूपाराम मुरवतिया ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने पेपर लीक मामलों में युवाओं के साथ धोखा किया है। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज की सभा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम की वजह से सफल हो पाई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आडे हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने वीर हनुमान जी के रोप-वे को बंद करने का काम किया और साथ ही उन्होंने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को सरकार के कमजोर शासन का परिणाम बताया।

भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से सवाई स्तर को गुंजायमान कर दिया। जन आक्रोश सभा में जिला प्रमुख रमा चोपडा, विधानसभा प्रभारी मंजू देवी शर्मा, जिला उपाध्यक्ष बजरंग लाल सोनी, निवर्तमान फल सब्जी मंडी अध्यक्ष दिनेश गोरा, पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव, उप प्रधान कमला देवी जयप्रकाश चौधरी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गजानंद कुमावत, गोविंदगढ़ अध्यक्ष साधुराम गुर्जर, कालाडेरा अध्यक्ष बनवारी शर्मा, बांसा अध्यक्ष श्रीराम शर्मा, पूर्व प्रधान महेश मीणा, पूर्व चेयरमैन आशीष दुसाद, उपाध्यक्ष कालूराम जाट, सरपंच रमेश शर्मा, त्रिलोक लोछिब, बाबूलाल गुर्जर, गौरी शंकर नेतड, सूरेश गुलिया, शंकरलाल, सुरेश सैनी, बंशीधर शेरावत, मोहन बराला, मांगीलाल शर्मा, बद्री प्रसाद यादव, पवन चोपडा, पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल, दिनेश चतुर्वेदी, जितेन्द्र सिंह, रामगोपाल मीणा, ओम प्रकाश दुसाद, विष्णु नागर, प्रमोद शर्मा बन्ना लाल जाटावाली, पंचायत समिति सदस्य लालचंद यादव, महेश यादव, अर्जुन यादव, प्रकाश हाटवाल, भाजयुमो अध्यक्ष योगेश यादव, अशोक सैनी, नानूराम पिपलोदा, एनआर गोरा, मोहन कुमावत, रामेश्वर चोपडा, बंसी मंडल, रामगोपाल बाबूजी, मालीराम शर्मा, महावीर सिंह, छोगाराम यादव, राजेंद्र गुलिया, धर्मेंद्र बंजार, गुलाब लांबा, हनुमान खोज, शंकर लाल, सहित हजारो की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं और आमजन उपस्थित रहे।

सार-समाचार

380 यूनिट रक्त संग्रह

खैरथल, (निसं)। स्वामी ध्यानगिरी महाराज के मेले से पूर्व लगे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिविर में स्वस्थ पाए गए 380 लोगों ने रक्तदान किया जबकि बहुत से लोग वंचित रह गए। स्थानीय मंगलगिरी सन्यास आश्रम के प्रभारी संत स्वामी गोविन्दगीरी महाराज के सानिध्य में स्वामी ध्यानगिरी महाराज कि पुण्यतिथि पर 12 से 14 जनवरी तक लगने वाले मेले से पूर्व आयोजित रक्तदान शिविर में सामान्य अस्पताल अलवर, स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक जयपुर,सेठ मक्खन लाल महावर ब्लड बैंक अलवर, अलवर ब्लड बैंक की मैडिकल टीमों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर रक्तदान करवाया गया। प्रारंभ में भगवान झूलेलाल, दत्तात्रेय,स्वामी मंगलगिरी ,स्वामी ध्यानगिरी , स्वामी सहजगिरी ,स्वामी गोपालगिरी,स्वामी लीलाशाह कीइ प्रतिमाओं के समक्ष स्वामी गोविन्दगीरी के साथ अतिथियों व सेवादारों द्वारा पूजा अर्चना कर शिविर का उद्घाटन किया गया। जिसमें पूज्य सिन्धी पंचायत मुखी मनोहरलाल रोघा, समाजसेवी लालचंद रोघा, पूज्य सिन्धी पंचायत अलवर के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश रोघा, चेलाराम केवलानी, घनश्याम भारती,भासिस के प्रदेश मंत्री गिरधारीलाल ज्ञानानी,पार्षद जाजन मुलानी,पेसुमल आरलानी,आसुमल केवलानी, दयामल केवलानी, बाबू कोठारी, गिरधारीलाल, किशनचंद, राजकुमार दादवानी, जे.बी.मंघाराम, जेठानंद लखानी, सेवक लालवानी, गोपाल पेशवानी,अशोक महलवानी, धर्मदास गनवानी दीपचंद लोढ़ा मौजूद रहे।

तंबाकू मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई

राजगढ़, (निसं)। तंबाकू मुक्त अलवर अभियान के चलते राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में उपखंड प्रशासन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को कार्रवाई की गई। बीसीएमओ डॉ आर एस मीणा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों ने केंद्रों पर तंबाकू मुक्त कार्यालय के बोर्ड लगाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्य में उनकी ओर से लोगों को तंबाकू के दुष्परिणामों को लेकर जागरुक भी किया गया। तंबाकू उत्पादों के स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शनी पर रोक को लेकर चलाए गए साझा अभियान से तंबाकू खाने वालों की मुसीबत बन गई है।

नवनिर्मित न्यायालय भवन का हुआ ई-लोकार्पण

श्रीमाधोपुर, (निसं)। कस्बे के निकट सीडब्ल्यूसी गोदाम के पास नवनिर्मित न्यायालय भवन का शनिवार को मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के मुख्य न्यायाधिपति पंकज मित्थल ने वर्चुवली उद्घाटन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन को सुलभ, सस्ता न्याय मिले यह न्यायपालिका का उद्देश्य है। इसके लिए न्यायिक अधिकारी ,अधिवक्ता ,कर्मचारी गण अपना अथक प्रयास करेंगे । राजस्थान में सब डिवीजन में जिस तरह से न्यायालय बन रहे हैं जो हर घर न्याय पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे । समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति चंद्र प्रकाश सोनगरा ने कहा कि न्यायिक प्रणाली को कुशल व आधुनिक बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि नवनिर्मित भवन इस उद्देश्य को पूरा करेगा। न्यायालय भवन लोकार्पण समारोह के संरक्षक जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौधरी ने नवनिर्मित न्यायालय भवन की रूपरेखा बारे में बताया । इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव, जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ,राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य ,बार काउंसिल इंडिया के पूर्व चेयरमैन वीरी सिंह सिनसिनवार, श्रीमाधोपुर के बार एसोसिएशन अध्यक्ष बनवारी लाल कुडी मंचस्थ थे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुडी ने मंच के माध्यम से जिला कलेक्टर को कहा कि नवनिर्मित कोर्ट से थोडी दूर स्थित दान में दी हुई 3 बीघा जमीन है ,एसडीम कोर्ट, एसीएम कोर्ट व तहसील तीनों का निर्माण यहां होने से आसानी रहेगी । इससे पहले हाई कोर्ट के जज सोनगरा को कोर्ट के नए कैंपस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर मंथन किया

मंडावरी कस्बे के श्री परशुराम सेवा सदन में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में विप्रजनों ने प्रसादी ग्रहण की।

मंडावरी लालसोट, (निसं)। ब्राह्मण समाज मंडावरी द्वारा रविवार को श्रीपरशुराम सेवा सदन में आयोजित किए गए स्नेह मिलन समारोह के दौरान सार्वजनिक रूप से बैठक कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने सहित व्याप्त कुरीतियों को दूर करने को लेकर सामूहिक मंथन किया गया।

इस बैठक के दौरान ब्राह्मण समाज के विप्र जनों द्वारा समाज के बालक बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त सोच को लेकर आगे बढ़ने पर बल दिया गया। ब्राह्मण समाज की बैठक के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा लुप्त हो रही सनातन संस्कृति को बचाने एवं उनसे जुडे धार्मिक महत्व को बरकरार रखने की तरफ भी समानांतर कार्य करते रहेंगे के लिए प्रेरित किया गया। बैठक के दौरान वैदिक संस्कृति को लुप्त होने से बचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले प्रयासों पर भी चर्चा की गई। इसके पश्चात ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज मंडल के अध्यक्ष सीताराम ढन्ढ उपाध्यक्ष हुकम कुमार हिंडोनिया कोषाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल भारद्वाज रामअवतार शर्मा, खेमराज जोशी बिरजू पान वाले पप्पू बंधु छगनलाल शर्मा केदार शर्मा गिरिराज शर्मा कजोड शर्मा जीतू एंबुलेंस गणेश मिश्र आदि कई विप्र बंधु मौजूद रहे।

'विदेशी विश्वविद्यालयों की अनुमति से भेदभाव बढ़ेगा'

जयपुर, (निसं)। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुक्टा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक डॉ.रमेश बैरवा ने प्रेस नोट जारी कर आक्रोश जताया है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं को परिसर खोलने की अनुमति देने से शिक्षा के क्षेत्र में विषमता और भेदभाव तेज होगा।

क्योंकि विदेशी शिक्षण संस्थाओं को मनचाही फीस तय करने की पूर्ण आजादी होगी एवं इन पर आरक्षण नीति लागू नहीं होगी। इससे शिक्षा का निजीकरण एवं व्यापारीकरण तेज होगा। विदेशी शिक्षण संस्थानों को अनुमति देने से सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, संविधान सम्मत समावेशी, सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य कमजोर होगा। जरूरत तो असल में शिक्षा के निजीकरण को रोकने एवं शिक्षा पर सरकारी बजट बढ़ाने और सरकारी शिक्षा के प्रसार की है।

स्वदेशी की ज्यादा ही वकालत करने वाले अब शिक्षा में भी विदेशी पूंजी को अनुमति दे रहे हैं। रुक्टा डेमोक्रेटिक विदेशी संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में परिसर खोलकर मुनाफा कमाने की अनुमति का पुरजोर विरोध करता है। जन हितैषी शिक्षा के समर्थक सभी शिक्षक,विद्यार्थी एवं नागरिक जन से इसका विरोध करने का आव्हान करता है।

फुटबॉल प्रतियोगिता में 4 छात्रों का चयन

सांभरझील, (निसं)। अन्त विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में स्थानीय राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 4 छात्राओं का चयन हुआ है। खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित कर रहे शारीरिक शिक्षक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विगत 3 से 7 जनवरी को एलएनआईपीई विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता छात्र गायत्री चौधरी, मोनिका वर्मा, खुशी अटोलिया व शालु चौधरी ने राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व कर महाविद्यालय को खेल में एक और उपलब्धि हासिल करवा कर क्षेत्र का राम रोशन किया है।

श्री बालाजी गौशाला का प्रथम वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित

- जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा समेत अन्य ने की शिरकत

कोटपूतली, (निसं)। निकटवर्ती ग्राम नांगडीवास स्थित कसाणा की ढाणी, देव महाराज की बणि में श्री रतनदास महाराज के सानिध्य में श्री बालाजी गौशाला का प्रथम वार्षिकोत्सव समारोह रविवार को बडे ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर भगवान श्री देवनारायण का विशाल मेला भी भरा।

वहीं गौशाला परिसर में नंदी महाराज की मूर्ति की स्थापना भी की गई। इस मौके पर आयोजित भण्डारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुए जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाने साधे। राठौड ने कहा कि राजस्थान में फायरिंग, लूट, हत्या व दलित उत्पीडन जैसी घटनायें आम हो चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कहा कि आये दिन होने वाली पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया है। आज प्रदेश का बेरोजगार दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। गृह राज्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजुद भी चोरी, फायरिंग जैसी घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लगता है जैसे सरकार के संरक्षण में ही अपराध फल फूल रहा है। उन्होंने विभिन्न जनसमस्यायें उठाते हुए भविष्य में उनके निराकरण का आश्वासन भी दिलाया। कार्यक्रम को बतौर विशिष्ठ अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ.रोहिताश्व शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश गोयल व शंकर लाल कसाना, पूर्व जिला मंत्री यादराम जाँगल समेत अन्य ने भी सम्बोधित किया। बालाजी गौ सेवा समिति, नांगडीवास के अध्यक्ष बलराम दास समेत ग्रामीणों ने अतिथियों का माला, साफा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने विभिन्न जन समस्यायें भी क्षेत्रीय सांसद के आगे रखी।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल: केन्द्रीय मंत्री शेखावत

- टोंक जिले की जनाक्रोश सभा का निवाई में हुआ समापन

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का राजपूत समाज के लोगों ने तलवार भेंटकर स्वागत किया।

निवाई, (निसं)। भाजपा की जन आक्रोश सभा खण्डेलवाल धर्मशाला में आयोजित हुई। जनाक्रोश सभा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। सरकार बनने से पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार बनने के बाद दस दिन में किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने का वादा किया। चार साल बीत गए एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ भी धोखा किया। अब तक 18 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं जिससे युवाओं को भविष्य अंधकार में चला गया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने स्कूलें खोल दी लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए। कॉलेज खोल दिए लेकिन उनमें प्रोफेसर व प्रिंसिपल नहीं लगाए। केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तो दूर की बात उन्हें विफल करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बने रहने व बनने की लडाई के कारण 4 वर्षों से चल रही है जिससे मंत्रिमंडल व ब्यूरोक्रेसी दो भागों में बंटी हुई है।

भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कुर्सी की लडाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि जब शासन का ध्यान कुर्सी की तरफ रहता है तो प्रशासन बेलगाम हो जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोडने के बजाए राजस्थान में कांग्रेस जोडने का कार्य करें तो बेहत्तर हो। सांसद सुखवीरसिंह जौनापुरिया ने कहा कि प्रदेश में जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बहुत अधिक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों में अलवर अपराधों का हब बन गया है। इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने जिले में बीसलपुर पानी की सप्लाई को बढाने की मांग की। सभा के दौरान केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत का राजपूत समाज ने तलवार भेंटकर स्वागत किया। सभा को जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, जिला प्रमुख सरोज बंसल,प्रभारी अशोक सैनी, मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामनिवास गुर्जर, प्रधान रामावतार लांगडी, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया,विधानसभा जन आक्रोश यात्रा प्रभारी राजेन्द्र सिंह शेखावत, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी,नरेश बंसल, यात्रा सह संयोजक रमाकांत शर्मा,रतनदीप गुर्जर, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमारी शर्मा,बबलू सैनी, नरेंद्र शर्मा,जितेंद्र कुमार जैन,मनोज पाटनी,संत कुमार जैन,मंडल अध्यक्ष दयाराम जाट, देवराज गुर्जर,मदन लाल सैनी, शिवदयाल गुर्जर, सवाईभोज गुर्जर सहित अन्य मौजूद रहे। केन्द्रीय मंत्री शेखावत को भाजपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाई तथा 51 मीटर का साफा बंधवाकर भव्य स्वागत किया।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री नानकराम सैनी, निवासी-68, सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर की रहने वाली हैं। मेरी अभिभाष्या के पुत्र जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री नानकराम सैनी, पुत्रवधु हेमलता सैनी, पौत्र वक्षण सैनी मेरी अभिभाष्या के कहे में नहीं है इसलिये मेरी अभिभाष्या अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था, सर्वेन्ट, ऐजेन्ट, किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार मेरी अभिभाष्या के पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र से करते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी अतः सूचित रहें।
जयपुर (सुनील शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-07.01.2023 मो.-9351159767

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर दूरभाष संख्याः-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 3683 दिनांक 22.11.2019 जारी कर आवास संख्या- 7/MA/72 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 72.000 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्री रविन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा के पक्ष में किया गया था। श्री रविन्द्र प्रकाश शर्मा की मृत्यु दिनांक 08.04.2022 को हो जाने के पश्चात् उनके पुत्र श्री भारत शर्मा पुत्र स्व. श्री रविन्द्र प्रकाश शर्मा के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, हकत्याग पत्र (रजिस्टर्ड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री भारत शर्मा पुत्र स्व. श्री रविन्द्र प्रकाश शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक
वृत तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र निवाई (न.पा.नि.)(जिला-टोंक)
क्रमांक-का.प्रा.अधि.न.क्षे.नि./कृ.भू./2021-22/12613 दिनांक-5/1/2023
प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका निवाई
लोक सूचना
श्री राजेश अरोडा पुत्र एस.एम.अरोडा, कुनाल अरोडा पुत्र राजेश अरोडा निवासी डीबी 67 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड जयपुर, मालवीय नगर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भण्डारण (कृषि आधारित वेयर हाउस/गोदाम) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	तह.निवाई जिला टोंक	निवाई	3656, 3657 3658/2	कुल रकबा 40089 वर्गमीटर में 10045.17 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं हैं और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक.... को जारी की जाती है।
(श्रीमती महिमा डांगी) प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षैत्र निवाई

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र निवाई (न.पा.नि.)(जिला-टोंक)
क्रमांक-का.प्रा.अधि.न.क्षे.नि./कृ.भू./2021-22/12618 दिनांक-5/1/2023
प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका निवाई
लोक सूचना
श्री राजेश अरोडा पुत्र एस.एम.अरोडा, कुनाल अरोडा पुत्र राजेश अरोडा निवासी डीबी 67 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड जयपुर, मालवीय नगर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भण्डारण (कृषि आधारित वेयर हाउस/गोदाम) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	तह.निवाई जिला टोंक	निवाई	3657, 3658/2	कुल रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा में से 10822.47 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं हैं और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक.... को जारी की जाती है।
(श्रीमती महिमा डांगी) प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षैत्र निवाई

कार्यालय नगर पालिका निवाई
क्रमांक-न.पा.नि./कृ.भू./2022-23/12610 **लोक सूचना** दिनांक-5/1/2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निवाई के मास्टर प्लान के 2031 अनुसार निम्नांकित आवासीय कॉलोनियों में आबादी/आवासीय कॉलोनियां, विकसित हो जाने के कारण जनहित की दृष्टि से निम्नानुसार मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना है।

क्र. सं.	कॉलोनी का नाम	मास्टर प्लान 2031 में भू उपयोग	भू उपयोग किया जाना है
1	श्याम नगर खसरा नम्बर 3921, 3922, 3923	खेल मैदान एवं क्षेत्रीय बाग	आवासीय
2	दादू विहार विस्तार खसरा नम्बर 1479/1, 1489/1, 1490/1	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय हेतु	आवासीय
3	खसरा नम्बर 933, 934 व 936	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय हेतु	आवासीय
4	गुरूकृपा कॉलोनी रेलवे स्टेशन रोड खसरा नम्बर 1533, 1534, 1535, 1544, 1545 व 1546	अन्य सामुदायिक सुविधाएं व सामान्य चिकित्सालय से	आवासीय
5	आवासीय कॉलोनी खसरा नम्बर 1834	श्मशान	आवासीय
6	खसरा नम्बर 2973,2974,2975 व 2976	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय हेतु	आवासीय

उपरोक्त प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन में कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निवाई

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)
चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.08.2021 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. श्री ध्रुव शर्मा, 2. श्रीमती स्वाती जैमन को जारी किया गया था, जिसमें 21.08.2021 की तिथी को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशि रूपये 58,43,814.23/- (रूपये अठावन लाख तियालीस हजार आठ सौ चौदह और पैसे तेईस मात्र) का भुगतान उपयुक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।
चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जनवरी 2023 के 5वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशी रूपये 58,43,814.23/- (रूपये अठावन लाख तियालीस हजार आठ सौ चौदह और पैसे तेईस मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।
कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।
अचल सम्पत्तियों का विवरण
प्लाट नं. 45, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, स्कीम नं. 15, देवधरा कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर राजस्थान-302039 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें निम्न है : पूर्व : प्लाट नं. 6, पश्चिम : रोड 30 फिट चौडी, उत्तर : प्लाट नं. 44, दक्षिण : प्लाट नं. 46
दिनांक 05.01.2023
स्थान - जयपुर
ऋण खाता संख्या - 23878567
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)